

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 3500 / 2005 / जयपुर

मैसर्स एस.एस.के. इण्टरनेशनल,  
नाहरगढ़ रोड़, जयपुर  
बनाम

.....अपीलार्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त 'एफ', जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,  
उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01 / 08 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 87/90/अपील-चतुर्थ/04-05/आरएसटी में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 23.03.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'एफ', जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे "सीएसटी एक्ट" कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 37 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 31.03.2004 के जरिये अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में वांछित मूल घोषणा पत्र "सी" के स्थान पर इसकी छाया प्रति प्रस्तुत किये जाने पर इसे अमान्य करते हुए अस्वीकार करने संबंधी आदेश की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2000-2001 के कर निर्धारण के संबंध में धारा 37 में संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2003 को प्रस्तुत किया गया। संशोधन प्रार्थना पत्र के साथ "सी" फॉर्म की फोटो प्रति जो तथाकथित अन्तर्राज्यीय विक्रय रूपये 11,07,070/- के समर्थन में था, पेश कर "सी" फार्म के अभाव में लगाये कर व ब्याज कम करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी द्वारा मूल "सी" फार्म की जगह उसकी फोटो प्रति पेश की गई जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अमान्य करते हुए अन्तर कर व ब्याज संबंधी मांग को कम नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है। उक्त

3/

निरन्तर.....2

अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि घोषणा प्रपत्र "सी" फॉर्म के अभाव में वक्त कर निर्धारण अतिरिक्त मांग कायम की गयी जिसके लिए संशोधन प्रार्थना पत्र के साथ "सी" फॉर्म की फोटो प्रति पेश की गई, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त "सी" फॉर्म की फोटो प्रति को अस्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः उन्होंने कथन किया कि प्रस्तुत "सी" फॉर्म नं० 4536421 मूल फॉर्म की फोटो प्रति है जो नोटेरी पब्लिक से सत्यापित की गई है, को मान्य करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने एवं प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि सीएसटी एक्ट की धारा 8(4) के अनुसार किसी अन्तर्राज्यीय विक्रय के संबंध में धारा 8(1) में यथा वर्णित रियायती कर दर तभी मान्य होगी जबकि विक्रेता ऐसे अन्तर्राज्यीय विक्रय के संबंध में विनिर्दिष्ट घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दे। धारा 8(4) की शब्दावली से ही स्पष्ट है कि उक्त घोषणा पत्र विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (prescribed authority) के द्वारा ही जारी किया गया घोषणा पत्र होना चाहिए। CST Act की धारा 8(4) निम्न प्रकार है :-

*"(4) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner-*

*(a) a declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority;"*

6. इसी प्रकार The Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957 के नियम 17 (2) (प्रश्नगत अवधि में यथाप्रचलित) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में की गई बिक्री के समर्थन में विक्रेता द्वारा क्रेता व्यवहारी से प्राप्त घोषणा पत्र का मूल भाग रिटर्न के साथ में प्रस्तुत करेगा। उक्त नियम निम्नानुसार है :

*"(2) A registered dealer who claims to have made a sale to another registered dealer shall in respect of such claim, attach to his return in Form CST 1, the portion marked "Original" of the declaration received by him from the purchasing dealer. The assessing authority may, at its*

3/

*discretion, also direct the selling dealer to produce for inspection the portion of the declaration marked "duplicate".*

उक्त विधिक प्रावधानों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में रियायती कर दर क्लेम करने के लिये "सी" फॉर्म की मूल परत ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **India Agencies (Regd) Bangalore v. Additional Commissioner of Commercial Taxes, Bangalore [JT 2005 (1) SC 16]** के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि मूल "सी" फॉर्म प्रस्तुत किये बिना रियायती कर दर का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उक्त निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :-

*"10. We are of the view that the Rule 6 (b)(ii) of the Central Sales Tax (Karnataka) Rules, 1957 which provides for furnishing of the original C-Form in order to claim the concessional rate of tax consistent with the provisions of the Central Sales Tax Act and there is no conflict between the provisions of Rule 12(2) and (3) of the Central Sales Tax Rules and Rule 6 (b) (ii) of the Central Sales Tax (Karnataka) Rules, 1957 as contended by the appellant Rule 12 of the Rules is intended to prevent misuse of C-Forms by unscrupulous and mischievous dealers and makes it obligatory for the dealer to furnish indemnity bond. In other words, in order to claim concessional rate of tax, the original C-Form has to be attached to the return as provided under Rule 6 (b) (ii) of the Central Sales Tax (Karnataka) Rules, 1957. It is not a mere formality or technicality but it is intended to achieve the object of preventing the forms being mis-used for the commission of fraud and collusion with a view to evade payment of taxes. In our opinion, Rule 6 (b) (ii) which is clear and categorical cannot be liberally construed but it should be construed strictly. We, therefore, hold that without producing the original of the C-Form as prescribed under rule 6 (b) (ii) of the Rules the appellant is not entitled for concessional rate of tax under Sub-section (4) of Section 8 of the Act.*

*21. The learned senior counsel for the appellant submitted that there is no suggestion anywhere that there is anything wrong with the genuineness of the transaction or any doubts as to the possession by the purchasing dealer on (of?) a certificate enabling the sellers to obtain the concessional rate of tax under Section 8 of the Act. Under such circumstances, the authorities should not have taken the strict view in rejecting the claim of the concessional rate of tax. At first sight, the argument of the learned counsel for the appellate appears to be genuine and Acceptable hut considering the mandatory nature of the provisions of the Act and Rules, this Court is called upon to decide the questions involved in this case. The provisions being mandatory they should have been complied with. The appellant made no attempt to comply with Rule 12 (3) till after his claim was rejected by the Assessing Authority. Having made no attempt to comply with the mandatory provisions, he disentitled himself from getting the concessional rate. Even otherwise, in our view, "it is a pure question of law as to the proper interpretation of the provisions of Section 8 of the Central Sales Tax Act and the*


31

provisions of Rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 and Rule 6 (b) (ii) of the Central Sales Tax (Karnataka) Rules, 1957. In view of the decision of this Court in the case of *Kedarnath Jute Manufacturing Co. (supra)* and of the decision in *Delhi Automobiles (P) Ltd. (supra)*, it is clear that these provisions have to be strictly construed and that unless there is strict compliance with the provisions of the statute, the assessee was not entitled to the concessional rate of tax."

7. इसी प्रकार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **CST v. Dhanraj Dal Mill; 2004 NTN (Vol. 24) 65** के प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से निर्णीत किया है कि घोषणा पत्र की फोटो कॉपी के आधार पर कोई छूट नहीं दी जा सकती है। उक्त निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :-

"So far as the question No. 2 is concerned, it is held that the benefit of exemption cannot be allowed on the basis of 'the Photo State copy of the Form. Filing of Form for the claim of exemption or concessional rate of tax has been held mandatory by Hon'ble Supreme Court in the case of *CST v. Prabhu Dayal Prem Narain*, reported in 1988 UPTC, 1204. Since the filing of the Form is mandatory for the claim of the exemption/concessional rate of tax, Form should be proper and in accordance to the Rule, Rule 12-B contemplates filing of original copy of Form. It does not contemplate filing of Photostat copy of Form, therefore, the benefit of exemption can only be allowed on the basis of the original Form and not on photostat copy. In case of *Shivam Industries, Agra v. CTT (Supra)*, In case of *M.P. Traders v. CTT (Supra)* it has been held that the benefit of exemption on the photostat copy of Forms cannot be allowed. In the case of *CST v. Radhika Agencies (2001 UPTC 309)* exemption on the basis of the certificate issued by the seller was denied."

8. उक्त उल्लिखित विधिक स्थिति एवं न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में यह निर्णीत किया जाता है कि अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में रियायती कर दर क्लेम करने की दशा में घोषणा पत्र "सी" की मूल परत प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत "सी" फॉर्म की फोटो कॉपी को अस्वीकार करने तथा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। फलतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।
9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
10. निर्णय सुनाया गया।

  
01.08.2018

(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य